बिहार सरकार
परिवहन विभाग
ज्ञाप संख्या–05 / स्था0 (मुकदमा) 01 / 2014 परि0 पटना, दिनांक

आदेश

श्री मदन मोहन लाल सिंह, सेवा मुक्त दैनिक वेतन भोगी लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9842 / 2014, मदन मोहन लाल सिंह बनाम् बिहार राज्य तथा अन्य में दिनांक–13.01.2016 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अपनी सेवा को नियमित करने का अनुरोध किया गया है।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सेवा नियमित करने हेतु याचिका कर्त्ता की याचिका का निष्पादन करते हुए याचिका कर्ता के नियमितिकरण के मामले पर तीन माह के अन्दर विचार कर यथोचित आदेश पारित करने का निदेश दिया है। उक्त न्यायादेश में वादी श्री सिंह को राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने का उल्लेख है। उक्त न्यायादेश द्वारा वादी श्री सिंह के नियमितिकरण पर विचार कर उनके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिये जाने संबंधी विभागीय आदेश सं0–1498 दिनांक–10.03.2014 को निरस्त कर दिया गया है।

3. तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा वादी के मामले की सुनवाई दिनांक– 26.05.2016 को की गई और आदेश पारित किया गया। परन्तु उक्त आदेश का आधार स्पष्ट नहीं था और संचिका में कोई मूल अभिलेख उपलब्ध नही है। इस बीच उनका स्थानांतरण हो गया। इसलिए मामले की पुनः सुनवाई की गई।

4. वादी से दिनांक–03.11.2016 को मूल अभिलेख की मांग की गई जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उन्हें दिनांक–09.11.2016 को उपस्थित होने के लिए निदेश दिया गया। उक्त तिथि को वादी श्री सिंह सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए।

5. श्री मदन मोहन लाल सिंह द्वारा नियमितिकरण के लिए प्रस्तुत दावे को माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम् उमा देवी एवं अन्य [(2006) 4SCC-1] के मामले में दिनांक–10.04.2006 को पारित आदेश के आलोक में विचार किया गया है क्योंकि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) पत्रांक–851 दिनांक–14.02.2008 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के मामले में उनका नियमितिकरण के निष्पादन के लिए दिशा निदेश जारी किया गया था। इस पत्र के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितिकरण के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जाना है :–

(i) वादी को नियुक्ति / कार्य पर रखे जाने के समय पदीय अर्हता थी या नहीं।
(ii) पद स्वीकृत था या नहीं।
(iii) रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति की गई थी या नहीं।
(iv) नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गई थी या नहीं।
(v) किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्य पर रखे गये थे या नहीं।
(vi) कार्यरत रहने की अवधि न्यूनतम 10 वर्षों (प्रत्येक वर्ष कम –से–कम 240 दिनों तक) की है या नहीं।

6. चूंकि वादी के पास कोई मूल अभिलेख नहीं मिला इस कारण कार्यालय में इनकी खोज की गई। कार्यालय में नहीं मिलने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिला परिवहन पदाधिकरी ने अपने पत्रांक–10319 दिनांक–09.11.2016 द्वारा प्रतिवेदन भेजा है।

7. सुनवाई की निर्धारित तिथि 03.11.2016 को श्री मदन मोहन लाल सिंह अपने नियुक्ति आदेश की मूलप्रति प्रस्तुत नहीं कर सके। श्री मदन मोहन लाल सिंह ने कहा कि उन्होंने दिनांक–19.04.1980 से 29.02.1984 तक जिला परिवहन कार्यालय, धनबाद में कार्यरत रहने के कारण नियमित किया जाय। सुनवाई के दौरान उनसे आग्रह किया गया कि अपने द्वारा दायर अभिलेखों की छाया प्रति पर वे

हस्ताक्षर कर दें तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया और बताया कि उनका मामला चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है इसलिए वे इसपर कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

8. उपलब्ध कागजातों की छायाप्रति के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे मामलों तथा सदृश्य मामलों के निष्पादन हेतु दिये गये मापदंड के आधार पर वादी श्री मदन मोहन लाल सिंह के मामले का विश्लेषण किया गया जो निम्नांकित है:–

(क) नियुक्ति के समय वादी को पदीय अर्हता थी कि नहीं? सरकार द्वारा तृतीय पद के लिए पदीय अर्हता मैट्रिक तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष निर्धारित थी। संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की छायाप्रति से विदित होता है कि श्री सिंह की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक तथा दिनांक–01.09.1992 को जिला परिवहन कार्यालय, पटना में नियुक्ति के समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी।

(ख) नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गई थी कि नहीं? श्री मदन मोहन लाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संबंधित नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि उनका नियुक्ति पत्र तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनाक–01.09.1992 को निर्गत किया गया था। और उन्हें जिला परिवहन कार्यालय, पटना में पदस्थापित किया गया था। अतः उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई थी।

(ग) पद स्वीकृत था या नहीं? संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना में दिनांक–01.09.1992 को लिपिक के 13 पद स्वीकृत थे जबकि जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अंतर्गत 15 लिपिक कार्यरत थे। स्पष्टतः श्री मदन मोहन लाल सिंह दैनिक वेतन भोगी लिपिक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध नहीं की गई थी।

(घ) किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्य पर रखे गये थे या नहीं। किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्य पर नहीं रखा गया था।

(च) कार्यरत रहने की अवधि न्यूनतम 10 वर्षों (प्रत्येक वर्ष कम –से–कम 240 दिनों तक) की है या नहीं। जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–3973 दिनांक–17.07.2010 के अवलोकन से विदित होता है कि श्री मदन मोहन लाल सिंह उक्त कार्यालय में दिनांक–19.04.1980 से 29.02.1984 तक कार्यरत रहे। यह अवधि 10 वर्ष से कम की है। इस लिए उक्त नियोजन के आधार पर नियमितिकरण का उनका दावा सही नहीं है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–10319 दिनांक–09.11.2016 के अवलोकन से यह विदित होता है कि श्री मदन लाल सिंह दिनांक–01.09.1992 से वर्ष 2009 तक उक्त कार्यालय में कार्यरत रहे। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यालय में उनकी कार्यावधि 10 वर्षों से अधिक तथा प्रत्येक वर्ष कम–से–कम 240 दिन है।

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत बल के विरूद्ध नियुक्ति इस तरह के मामलों में नियमितिकरण के लिए एक प्रमुख शर्त है। परन्तु जैसा कि उपर विवेचित किया गया है वादी की नियुक्ति स्वीकृत बल के विरूद्ध नहीं की गई थी। उक्त आधार पर वादी का लिपिक के पद पर नियमितिकरण का दावा अस्वीकृत किया जाता है।

वादी को सूचित कर दें।

ह०/–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

E-mail.
नेबंधित

ज्ञापांक– 05/स्था0 (मुकदमा) 01/2014 परि0 6673 पटना, दिनांक 14/11/16

प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना तथा श्री मदन मोहन लाल सिंह, सेवा मुक्त दैनिक वेतन भोगी लिपिक, ग्राम–काशीपुर, पो0–बिदुपुर (आर0एस0) , थाना–राजा पाकड़, जिला– वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ प्रेषित।

14/11
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।